स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की एम0एड0 उपाधि की
आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध–प्रबन्ध

निर्देशक
डा0 अमरनाथ दत्त गिरि
शिक्षक शिक्षा विभाग

शोधकर्ता
सन्तोष कुमार साहू
एम0एड0 (छात्र)

अतर्रा पी0 जी0 कालेज, अतर्रा (बाँदा)

सत्र–2010–11

घोषणा–पत्र

मै, सन्तोष कुमार साहू पुत्र श्री लक्ष्मीनरायण साहू एम0एड0 छात्र (सत्र2010–11) अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा घोषित करता हूँ कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध, "स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन" मेरे द्वारा किया गया मौलिक कार्य है।

यह कार्य मैंने अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा के शिक्षक शिक्षा विभाग के डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि के निर्देशन में पूरा किया है।

दिनांक– 19.4.2011

शोधकर्ता

सन्तोष साहू

सन्तोष कुमार साहू

शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सन्तोष कुमार साहू पुत्र श्री लक्ष्मी नरायण साहू, ने एम0एड0 छात्र के रूप में सत्र 2010–11 के मध्य मेरे निर्देशन में प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध पूरा किया है। इन्होने स्नातक के छात्र–छात्राँओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक से अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है।

शोधकर्ता के अध्ययन के आधार पर मैं इस शोध प्रबन्ध को एम0एड0 परीक्षा की आंशिक पूर्ति हेतु मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान करता हूँ।

दिनांक 19.04.2011

निर्देशक

डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि

(एसोसिएट प्रोफेसर)

शिक्षा विभाग

अतर्रा पी0जी0 कालेज, अतर्रा (बांदा)

आभार

प्रस्तुत लघु शोध–प्रबन्ध को सम्पन्न कराने में मुझे जिन अध्यापकों द्वारा प्रेरणा एवं सहानुभूतिपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उनका सतत कृतज्ञ हूँ।

सर्वप्रथम मैं अपने निर्देशक डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि मे प्रति आभारी हूँ जिन्होने मुझे प्रस्तुत विषय पर लघु शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान की एवं समय–समय पर बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात मैं शिक्षा संकाय के सभी अध्यापकों का भी आभारी हूँ जिन्होने समय–समय पर मेरी समस्याओं का समाधान किया।

मै शिक्षक–शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ0 पी0एस0 सेंगर का भी आभारी हूँ। जिन्होने मेरे ऊपर कृपादृष्टि बनायें रखी।

मै अपने पूज्य पिता श्री लक्ष्मीनरायण साहू एवं माताजी श्रीमती रामप्यारी देवी के समक्ष नतमस्तक हूँ जिनके निरन्तर प्रोत्साहन, प्ररणा, आशीर्वाद एवं आर्थिक सहयोग से यह लघुशोध प्रस्तुत करने की शक्ति प्राप्त हुई।

मै अपने सहयोगियों एवं उन सभी विद्यार्थियों का भी आभारी हूँ जिन्होने इस शोध कार्य मे अपना योगदान दिया।

अन्त मे मैं उन सभी लेखकों विद्यानो एवं अध्यापकों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी कृतियों सें मुझे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला।

दिनांक –   शोधकर्ता

सन्तोष कुमार साहू

अनुकमणिका

प्रथम–अध्याय

प्रस्तावना

जब मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसका यह अधिकार बनता है कि वह अपना सांसारिक जीवन संतोष, सुरक्षा और आनन्दपूर्वक बितायें। समाज और सरकार दसे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधायें प्रदान करें और उसके लिये उपयुक्त वातावरण का निर्माण करें जिससे मनुष्य अपना जीवन स्वतंत्रता से और सुरक्षापूर्वक जी सकें। मानव को प्राप्त होने वाले यह अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवाधिकार उन अधिकारों या स्थितियों को कहते है जो मानवोचित जीवन के लिये आवश्यक होते है। इससे तात्पर्य मनुष्य के अधिकारों से है। यह अधिकार मानव की प्रकृति मे निहित है।

मानवाधिकार कोई नई अवधारणा नही है। इसकी जडें अतीत की गहराइयों मे छिपी है। वैदिक युग में भी मानवाधिकारों का आस्तित्व था। वैदिक काल में ही–

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददुख भागवेत । ।"

जैसी भावना वर्णित की गई है तथा शास्त्रों में " अति सर्वत्र वर्ज्यते" का उल्लेख है। दार्शनिक प्लेटो,रूसों,लास्की तथा अन्रू दार्शनिक ने अपने कृतियों में मानवाधिकारों को स्थान दिया है।प्राचीन ग्रीक, प्राचीन भारत तथा रोमन गणराज्यों में नागरिकों के अधिकारों को मान्यता मिली थी।

, विश्व इतिहास पर नजर डाले तो यह ज्ञात होता है कि मानवाधिकारों का विकास राज्य की शक्तियों के विरूद्व सतत संघर्ष का प्रतिफल है और

इन्ही संघर्षो की राह पर चलकर ही मानव अधिकारों की आधुनिक धारा प्रवाहित हुई। मानवाधिकारों के संरक्षण मे 15 जून 1215 को ब्रिटेन मे जारी मैगनाकार्टा (महाधिकार पत्र) पिटीशन आफ राइट (1628), हैवियस कापस एक्ट 1679 , विल आफ राइटस (1689), अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776), फ्रांसीसी स्वतत्रता की घोषणा (1789), न्यूयार्क अर्न्तराष्टीय विधि संस्थान की मानवाधिकारों और कर्तव्यों की उदघोषणा (1929) तथा संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक उदघोषणा 1948) जारी हुई।

पश्चिम जगत के दार्शनिकों में टामसपैनी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक मानव अधिकार मे समाज में व्याप्त बेचैनी एवं अराजकता के कारणों का विश्लेषण किया तथा इनके उपचार के उपाय प्रस्तुत किये। इसी कम को आगे बढाते हुऐ प्रख्यात दार्शनिक व राजनैतिक लास्की ने कहा था कि– मानवाधिकार समाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके बगैर सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्त्वि का पूर्ण विकास नही कर सकता है । ऐसे ही राजनीतिक विचारों से बढता हुआ आज मानवाधिकार वर्तमान स्वरूप मे आया।

आज मानव अधिकार इतने व्यापक हो गये है कि हर व्यक्ति मे आया। आज मानव अधिकार इतने व्यापक हो गये है कि हर व्यक्ति इनके प्रति जागरूक है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान हो गया है।समाज का विकास जैसे–जैसे आगे बढता जा रहा है, समाज के विकास के साथ–साथ मानवाधिकार हनन की घटनाओं मे तेजी से बढोत्तरी हो रही है। मानवाधिकार हनन की घटनाऐं समाज के प्रत्येक वर्ग तथा प्रशासन के प्रत्येक अंग

द्वारा की जा रही है।लेकिन हनन की सर्वाधिक शिकायतें आयोग के पास पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की पहुंचती है।

आखिर पुलिस के प्रति जनता का इतना प्रतिकार क्यों ? इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पुलिस के लन्दन में पुलिस कमिश्नर राबर्ट मार्क ने टिप्पणी की कि पुलिस समाज का प्रतिबिम्ब होती है। यदि समाज हिंसक है तो पुलिस भी हिंसक होगी यदि समाज भ्रष्ट है तो पुलिस भी भ्रष्ट होगी।किन्तु यदि समाज सहनशील,शिक्षित तथा सहिष्णु है तो पुलिस भी उसी तरह कार्य करेगी काफी प्रासंगिक है।

मानवाधिकार हनन की बढती घटनाओं के लिये मात्र पुलिस ही दोषी नही है जनता का समाज बराबर का दोषी है। निर्दोष व्यक्ति के पक्ष मे आज सभ्य समाज भी खडा होने से कतराता है। डेनियल डेको का यह कथन है कि हर तरफ से समाज सभी लोंगों की आवाज है कि अपराधी को सजा दी जाये लेकिन शायद ही किसी को चिन्ता हो कि निर्दोष को सजा न मिले अक्षरशः सत्य है। यही कारण है हनन काफी तेजी से बढ रहा है। हम जितनी अधिक तेजी से विकास कर रहे है मानवीय सम्बन्धों एवं आदर्शों की डोर उतनी ही नाजुक होती जा रही है। विकास की अंधी दौड, वर्चस्व की होड, अस्तित्व कायम करने की महत्वाकांक्षा ने हनन की भावना को गौण कर दिया है। जस्टिस कृष्ण अययर ने अपनी पीडा व्यक्त करते हुये कहा कहा है कि– सभ्यता के विकास के कम में आज मानवाधिकारों को बहुत ऊंचे स्तर की मान्यता मिली हुई है, परन्तु यह भी सत्य है कि ऐसे मनुष्यों की संख्या भी तेजी से बढ रही है जो अधिकारों से वंचित है। चारों ओर खून, खराबा, हिंसा, लूट–खसोट और अराजकता ने मानव की मानवता छीन ली है। मानव की

अमानवीयता कई रूपों में दिन–प्रतिदिन देखने को मिलती है।

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा एक ऐसी प्रकिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्य स्थापित करने मे सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिये तैयार करती है और उसके व्यवहार विचार और दृष्टिकोण मे ऐसा परिवर्तन करती है। जो समाज देश और विश्व के लिये हितकर होता है। अतः शिक्षा द्वारा ही समाज को मानवाधिकार के बारे मे जागरूक किया जा सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि स्कूलों एवं अन्य शिक्षा संस्थाओ में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध किया जाय। शिक्षा व्यवस्था में मानवाधिकार को सम्मिलित कर छात्र–छात्राओं को इसके विषय में जागरूक किया जा सकता है क्योकि छात्र–छात्राएँ ही समाज के भावी कर्णधार है।

मानवाधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में सन 1945 के द्वितीय विश्वयुद्व तथा अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए गये परमाणु बम से हुई हजारों हत्याओं के बाद, विश्व के सभी लोगों में एक नई तथा शक्तिशाली सोच सामने आई। तथा 10 दिसम्बर 1948 को "अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग"की स्थापना हुई इसी दिन मानवाधिकार आयोग की सार्वभौम घोषणा जारी की गई और इसे पूर्ण मान्यता भी प्राप्त हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को दी गयी सार्वभौमिक घोषणा–पत्र (चार्टर) मे 30 अनुच्छेदो में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के विषय को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चार्टर पर 10 अप्रैल 1979

को हस्ताक्षर करके मानवाधिकारों को स्वीकृति प्रदान की, तथा सितम्बर 1993 में मानवाधिकार अध्यादेश को पारित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसने देश के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये प्रयास किये है और मानवाधिकार हनन को रोकने के लिये कडे से कडे कदम उठाये है। उत्तर प्रदेश राज्य मे भी मानवाधिंकार हनन की घटनाओं की रोंकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय, लखनऊ मे एक मानवाधिकार सेल का गठन किया गया है।

हालांकि हमारे संविधान के भाग –3 और भाग–4 को दिये गये मूल अधिकारों और सत्य के नीति तत्वों मे मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्य वर्णित है।इन मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे मे डा0 राधाकृष्ण ने कहा था कि ये हमारे अपने लोगो के प्रति वचन बद्वता और सभ्य संसार के प्रति मित्रता का घोतक है। ये हमारे देश में संविधान द्वारा शुरू हुई जनतांत्रिक जीवन पद्वति की आधारशिला है। अतः आज आवश्यक्ता है कि इन्सान को हर तरह की बुनियादी आजादी होनी चाहिये।और इस आजादी की रक्षा होनी चाहिये।सभी सरकारों सभी विभागों और सभी इन्सानों का कर्तव्य है कि इन मानवाधिकारों की रक्षा करें, क्योंकी सम्पूर्ण मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा उनक अविछिन्न अधिकार की स्वीकृत और पालन ही विश्व न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।

1.1 मानवाधिकार का स्वरूप एवं महत्व–

मानवाधिकार का उद्‌भव एवं विकास–

प्राचीन काल में कई निरंकुश राजतंत्र थे। कमजोर, क्षीण, शांतिप्रिय और चुपचाप

रहने वाले लोगो ने मृत्यु, अभाव, यातना व बर्बादी के रूप में अपने अधिकारों को इन निरंकुश राजतंत्रो द्वारा कुचलते देखा और खून का घूँट पीकर रह गए लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिर कार विद्रोह होने लगे। निरंकुश राजतंत्रो की गददी खिसकने लगी उनके दंभ चूर होने लगे तो मजबूरी में उन्हे लोगों को कुछ अधिकार देने पडे । ऐसे अधिकारों के प्रारम्भिक साक्ष्य 1215 ई0 मे अंग्रेजी राजतंत्र के सर्वाधिक निकृष्ट व निर्दयीशासक जॉन लॉक द्वारा निर्गत किया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज "मैग्नाकार्टा" अधिकार पत्र था जिसमें सर्वप्रथम मानवाधिकारो से सम्बन्धित में उपबन्ध किये गये थे। यह मैग्नाकार्टा चार्टर विश्व इतिहास में मानवाधिकार के सम्बन्ध में प्रथम चार्टर कहा जा सकता है। इसी कम मे 1689 ई0
मे इंग्लैण्ड में "बिल ऑफ राइटस" के जए भी कानून की दृष्टि में समानता निर्वाचन का अधिकार, प्रजातांत्रिक मूल्यो की घोषणा की गई तथा इंग्लैण्ड में ही बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम–1679 में भी मानव को न्याय प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया।

अरस्तू , सेंट टामस, एक्वीनास, हयूगो ग्रोसियन, टामस हाब्स, स्पिनोजा, जॉन लॉक आदि ने अपने–अपने काल में मानव अधिकारों के सम्बन्ध में नैसर्गिक न्याय नैसर्गिक विधान तथा शाश्वत अधिकारों को दार्शनिक विचार धारा द्वारा प्रतिपादित करते हुए तत्कालीन समाज को जागरूक किया था जिससे लोगो में जागृति आयी थी और लोग अधिकारों के प्रति सजग हो गये थे।टामस पैनी सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होने समाज मे व्याप्त बेचैनी व अराजकता के कारणों का विश्लेषण अपनी मानव अधिकार नामक पुस्तक लिखी। उपरोक्त दार्शनिकों द्वारा फैलायी गयी जागरूकता का ही

परिणाम था सन 1976 का उत्तरी अमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम तथा फ्रांसीसी क्रांति (1789–1793)।इसके बाद 1917 ई0 की रूसी क्रांति जिसमे "मार्क्स" के विचारों ने जनता को जागरूक किया था। ये सभी क्रातिंया जनसाधारण के मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का ही परिणाम थी जिसके उपरान्त मानव के अधिकारों की रक्षा के लिये अनेक प्रावधान किये गये।

मानव अधिकारो के मांग के सम्बन्ध में सर्वाधिक शर्मनाक घटना भारत का जलियावाला बाग हत्याकाण्ड (13 अप्रैल 1919) तथा अमेरिका द्वारा 6 अगस्त एवं 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराये गये परमाणु बम जिससे हुई हजारो मौतों ने समूचे विश्व जगत व मानवता को झकझोर दिया। इसके अलावा प्रथम विश्वयुद्ध (1914–1918) तथा द्वितीय विश्वयुद्ध (1939–1945)। मानवाधिकारों के हनन की इन सभी घटनाओं ने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के विचारों को जन्म दिया।और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वप्रसिद्ध महत्वपूर्ण चार्टर तैयार किया गया जिसमें जिसमे मानवाधिकारो कों मान्यता प्रदान करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानवाधिकार बिल तैयार किया गया तथा सभी आजाद देशों ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। 1946 ई0 में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तथा 10 दिसम्बर 1948 ई0 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार विमर्श कर ' अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल' को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव संख्या 270(iii) निर्गत करते हुए मानवाधिकारो की सार्वभौम घोषणा की जिसमें मानवाधिकारों को 30 अनुच्छेदों में बाँटकर वर्णित किया गया है। 10 दिसम्बर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 53 देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

आयोग के सदस्य है।

भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के मानवरधिकर चार्टर पर 10 अप्रैल 1979 को हस्ताक्षर करके मानवाधिकारो को स्वीकृति प्रदान की। तथा 1993 में मानवाधिकार अधिनियम को पारित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जिसने देश के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास किये है तथा मानवाधिकारों हनन रोकने के लिए कडे कदम उठाए हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को की गयी सार्वभौमिक घोषणा को आजादी, न्याय, शांति तथा लोक तांत्रिक अधिकार व समानता की आधार शिला माना गया है। इस सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेदों में मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओ के विषय में विस्तृत उल्लेखन किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

अनुच्छेद–1 : इसमे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारो के दर्शन को स्वीकार किया गया है।

अनुच्छेद–2 से 15 : इसमे जीवन स्वतन्त्रता, व्यक्ति की संरचना तथा विधि से समक्ष समनता आदि का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद–16 : इसमे वयस्क पुरूषो तथा स्त्रियों को बिना राष्ट्रीयता तथा भेदभाव करने तथा कुटुम्ब स्थापित करने के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद–17 : प्रत्येक को अपने आय तथा सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।

अनुच्छेद–18 से 19 : इसमे धर्म मत तथा विचारो की अभिव्यक्ति के विषय में स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है।

अनुच्छेद–22 से 26 : इसमें मनुष्यो के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों का वर्णन किया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गयी है।

अनुच्छेद–27 : प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय की सांस्कृतिक जीवन–कला तथा वैज्ञानिक प्रगति की किया में स्वतन्त्रापूर्ण भागीदारी का अधिकार है।

अनुच्छेद–28 : प्रत्येक को एक ऐसे सामाजिक और अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में दर्ज अधिकारों तथा स्वतन्त्राताओं का प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद–29 : इसमें व्यक्तियों के समाज सम्बन्धी कर्तव्यों का वर्णन है।

अनुच्छेद–30 : इसमें व्याख्या से सम्बन्धित नियमों का वर्णन है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद निम्नलिखित समझौतों को स्वीकार करके मानव अधिकारों की सुरक्षा के प्रयत्नों को उचित दिशा तथा शक्ति देने का प्रयास किया गया–

(1) नरसंहार के अपराध कों रोकने तथा सजा देने से सम्बन्धित समझौता (1948)

(2) स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिज्ञा पत्र (1952)

(3) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र (1966)

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापक प्रयासो के बावजूद भी मानवाधिकार हनन की घटनाएँ जारी है।

भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार–

भारत एक प्राचीन सभ्य, सहिष्णु और संस्कृति सम्पन्न राष्ट्र है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से ओत–प्रोत इस देश की संस्कृति मानव–मात्र के कल्याण की भावना रखने वाली रही है। हमारी संस्कृति में मानवाधिकारों की रक्षा का स्थान सदैव से ही महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक काल से ही भारतीय इतिहास मानवाधिकारों का संरक्षक रहा है। सदियो से हमारी भावना "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयाः" की रही है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान वेत्ताओं ने भारतीय संविधान के भाग –3 तथा भाग–4 में "मूल अधिकारों और राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों"के रूप में मानवाधिकारों को संरक्षित करने वाले अधिकार व कर्तव्यों का प्रावधान किया।

भारत संविधान के भाग–3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। तथा भाग–4 में राज्य की नीति के निर्दशक तत्वों को स्थान दिया गया है।

भाग–3 मौलिक अधिकार (अनु0 12 से 36)

1. <u>समता का अधिकार</u> (अनुच्छेद–14 से 18)

अनुच्छेद– 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार

अनुच्छेद– 15: राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नही करेगा।

अनुच्छेद– 16: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम तथा जन्म स्थान के आधार पर लोक सेवाओ में कोई भेदभाव नही करेगा।

अनुच्छेद– 17 : अस्पृश्यता का अन्त।

अनुच्छेद– 18: उपाधियो का अन्त। किन्तु शिक्षा एवं सेना में उपाधियाँ दी जा सकती है।

1. **स्वतन्त्रता का अधिकार** (अनुच्छेद 19 से 22 तक):

अनुच्छेद–19 : वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है।

अनुच्छेद–20 : अपराधो मे लिए दो सिध्द के सम्बन्ध में संरक्षण।

अनुच्छेद–21 : प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार।

अनुच्छेद–22 : कुछ दशाओ में गिरफ्तार और निरोध मे संरक्षण

2. **शोषण के विरूध्द अधिकार (** अनुच्छेद–23 से 24 तक)

अनुच्छेद–23 : मानव सुधार के दुव्यापार और बला और बलातश्रम का प्रतिषेध है।

अनुच्छेद–24 : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को कारखानों या खतरनाक स्थानों पर नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

4. **धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार** (अनुच्छेद–25 से 28 तक)

अनुच्छेद–25 : अन्तःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतन्त्रता,

अनुच्छेद–26 : धार्मिक कार्यो के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद–27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृध्दि के लिए करों कें संदाय के बारे मे स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद–28 : कुछ शिक्षा संस्थाओ मे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतन्त्रता।

5. **संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार** (अनुच्छेद–29 से 30तक)

अनुच्छेद–29 : अल्पसंख्यक वर्गो के हितो का संरक्षण।

अनुच्छेद–30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार** (अनुच्छेद–32)

अनुच्छेद–32 : यह नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारो की रक्षा के

अनुच्छेद–36 से 51 : तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वो का वर्णन है जो निम्न प्रकार है–

अनुच्छेद–36 से 37 : के अनुसार नीतिनिर्देशक तत्वो में वर्णित सिध्दान्त , वाद योग्य नही है। न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नही है।

अनुच्छेद–38 : राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अभिवृध्दि का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुप्रमाणित या सुनिश्चित होता हो।

अनुच्छेद–39(क) : राज्य का कर्तव्य है सबको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान करे।

अनुच्छेद–39(ख से ग) : राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो और आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।

अनुच्छेद–39(घ) : जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।

अनुच्छेद–40 : स्वायत्त शासन की इकाईयो के रूप मे ग्राम पंचायतो का गठन।

अनुच्छेद–41 : (1) काम पाने का अधिकार (2) बेकारी बुढापा बीमारी और अन्य अन्य अभाव की दशाओ में लोक सहायता पाने का अधिकार।

अनुच्छेद–42 से 43 : राज्य काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाएँ निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अक्सर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। महिलाओं को प्रसूति काल में विशेष सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद–44 : राज्य के 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

अनुच्छेद–45 : राज्य के 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

अनुच्छेद–46 : दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितो की अभिवृध्दि।

अनुच्छेद–47 : मद्य और मादक पेयों के औषधीय प्रयोजनो से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करना।

अनुच्छेद–48 : (I) कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से संगठित करना।

(II) उपयोगी पशुओं का बंध का प्रतिषध करना।

अनुच्छेद–49 : राष्ट्रीय या कलात्मक महत्व के स्थानों स्मारकों भवनों कलाकृतियों की देखभाल और परीक्षण करना।

अनुच्छेद–50 : राज्य न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के लिये कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद–51 : राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करने का प्रयास करेगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के तहत दिये गये अधिकार–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मसलों में अपने निर्णयों के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में निम्न मानवीय अधिकारों को मान्यता दी है–

(1) विधिक सहायता का अधिकार।

(2) हथकडी के विरूध्द अधिकार।

(3) डाक्टरी सहायता का अधिकार।

(4) विदेश जाने का अधिकार।

(5) बेडी लगाने के विरूध्द अधिकार।

(6) विलम्ब से फाँसी के विरूध्द अधिकार।

(7) अभिरक्षा में हिंसा के विरूध्द अधिकार।

(8) जानने का अधिकार।

(9) आश्रय का अधिकार।

(10) करता और अव्यवहारिक दण्ड के विरूध्द अधिकार आदि।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एवं कार्य–

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसमें एक अध्यक्ष तथा सात सदस्य होते है।

मानवाधिकार के उल्लंघन से सम्बन्धित मामलें की जाँच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सिविल न्यायालय समझा जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य–

यह आयोग निम्नलिखित कार्यो में से किसी अथवा सभी को करेगा।

(क) स्वप्रेरणा से अथवा पीडित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी तरफ से, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याचिका प्रस्तुत करने पर लोक सेवक द्वारा

(1) मानवाधिकारों के उल्लंघन अथवा उसके दुष्प्रेरण।

(2) मानवाधिकारों कें उल्लंघन को रोकने की अपेक्षा।

(ख) किसी न्यायालय मे समक्ष लम्बित मानवाधिकार के किसी आरोप में सम्बन्धित कार्यवाही में उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।

(ग) राज्य सरकार को सूचित करते हुए अन्तः वासियो की जीवन दशा का अध्ययन करने हेतु राज्य सरकार के नियन्त्राधीन किसी ऐसी जेल अथवा संस्था जिसमें व्यक्तियों को चिकित्सा सुधार अथवा संरक्षण के प्रयोजनार्थ निरूध्द किया जाता है अथवा रखा जाता है कि निरीक्षण करना और उसके बारे में सुझाव देना।

(घ) संविधान अथवा तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु उपबन्धित संरक्षण के उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कियान्वयन हेतु सुझाव देना।

(ङ) मानवाधिकारों के उपयोग को अवरूध्द करने वाले आतंकवादी कार्यो की समीक्षा करना तथा उनके उपचार हेतु समुचित उपायो के बारे में सुझाव देना।

(च) मानाधिकारो से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों एवं अन्य लिखितों का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावी कियान्वयन हेतु सुझाव देना।

(छ) मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोधन करना तथा शोधकार्य कों प्रोत्साहित करना।

(ज) ऐसे अन्य कार्य जिसे वह मानवाधिकारों की प्रोन्नति हेतु आवश्यक समझे।

1.2 प्रस्तुत शोध की समस्या एवं उसका शैक्षिक महत्व–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह समाज में रहकर ही अपना वैयक्तिक विकास करता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है। व्यक्ति को

विकसित होने की सभी सुविधाएँ जुटाएँ और उसे विकास में सहयोग दे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास मे सहायक है इसलिए राज्य, विद्यालय तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में कोई कमी न आने दे। मनुष्य के विकास के लिए उचित वातावरण क़ी स्थापना करना राज्य एवं समाज का ही कर्तव्य है।

द्वितीय विश्वयुध्द के बाद 1945 मे "राष्ट्रसंघ" की स्थापना हुई तथा इसी के नेतृत्व मे 25 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व प्रसिध्द महत्वपूर्ण चार्टर तैयार किया गया जिसमें मानव के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए 10 दिसम्बर 1948 को मानवधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई जिसमें मनुष्य को अनेंक अधिकार प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के भाग–3 तथा भाग–4 में भी मानव को नही जानते और न ही इनकी शिक्षा मे कही व्यवस्था है। जबकि "मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा" का केन्द्र बिन्दु स्वयं मानव है। मानव समाज के बीच समानता का सिध्दान्त सीमित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक

व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे।

1.3 समस्या ती उत्पत्ति-

समस्या की उत्पत्ति उस परिस्थितिक से होती है जिसमें कार्यकर्ता जागरूक होता है तथा उसे इस बात की अनुभूति होंती हैं कि सुचारू रूप से कार्य संचालन के मार्ग में बाधाएँ हैं इन बाधाओं को दूर किया जा सकता हैं तथा इन्हें दूर करने से सैध्दान्तिक अथवा व्यवहारिक किसी समस्या का समाधान हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन मे अपनें कार्य क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का अनुभव करते है। फिर भी उनसे मुख मोड लेते है। जब तक हमारे अन्दर जिज्ञासा न होगी तथा हमारी प्रवृत्ति वैज्ञातिक न होगीं हमें कोई समस्या दिखाई नही पडेगीं। जिज्ञासु तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र मे अनेक समस्याएं देखता है तथा उनके समाधान की आवश्कता और महल को समझत हैं उसमें असन्तोष वृत्ति होती है यह असन्तोष तथा जिज्ञासा उसमें अनुसन्धान वृत्ति पैदा करती है।

व्यक्ति को समाज में सुख शान्तिपूर्वक तथा ससम्मान से जीने के

लिए एवं समाज में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा मानव जाति के कल्याण हेतु विशेष अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। वह शक्तियाँ तथा सुविधाएँ किसी मान्यता प्राप्त तथा राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है।इसी प्रकार का एक संघठन है "संयुक्त राष्ट्र संघ" जो मानव जाति की सुख शान्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारत में भी संविधान तथा कानूनों के माध्यम सें मानव को अनेक अधिकार प्रदान किये गयेहै। किन्तु हमारे यहाँ अधिकांश छात्र इन अधिकारों के बारे मे जागरूक नही है। इसका मुख्य कारण इन अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा के रूप में इसकी कोई व्यवस्था नही है।

छात्रों की इन अधिकारों की जानकारी प्रदान करना कितना आवश्यक है तथा शिक्षण संस्थानों के पाठयक्रम में मानवाधिकारों को शिक्षा के रूप में शामिल कर नई पीढी को मानव गरिमा का पाठ पढाया जाना कहाँ तक अनिवार्य है तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए छात्र–छात्राओं को शिक्षित किया जाना चाहिए या नही। छात्र–छात्राएँ इन अधिकारों की शिक्षा के प्रति जागरूक है या नही प्रश्नों की जिज्ञासा को शान्त रखने के हेतु शोध कार्य के समस्या की उत्पत्ति हुई।

1.4 समस्या का चयन–

समस्या का उस परिस्थिति में जन्म होता है जिसमे हम यह अनुभव करते है कि कुछ ऐसी बात है जिसके सम्यक समाधान के बिना कठिनाइयों का अस्तित्व बना ही रहेगा।

अनुसन्धान कार्य का प्रथम चरण समस्या का चयन करना होता है। अनुसन्धानकर्ता विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त समस्या का निर्धारण कर सकता है ।

साधारणतया यह परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती है–

1. समाज की तत्कालीन समस्या।

2. व्यक्तिगत उत्सुकता।

वर्तमान मे शिक्षा का महत्व बढता जा रहा है क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के **"वैयक्तिक और सामाजिक विकास"** का प्रमुख साधन है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति किसी भी प्रकार का विकास नही कर सकता। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है और समाज की भलाई के लिए व्यक्ति उनका उपयोग करता है।शिक्षा मानव

अधिकारों के संरक्षण का सर्वोत्तम साधन है। अतः आवश्यक है कि मानवाधिकारों की शिक्षा प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों को दी जाये। प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्भ से ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति जागरूक हो एक का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है इस कारण तत्सम्बन्धी जारूकता अतिवार्य है। अतः प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर से ही सरल भाषा में छात्रों को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने से निश्चित रूप से वह ज्ञान उसके संस्कार व चरित्र का भाग बन जायेगा। तथा आने वाली अगली कक्षाओं में इसके प्रति और जागरूक होता जायेगा। मानवाधिकारों के विषय में जानकारी केवल छात्रों को ही नही बल्कि छात्राओं को भी समान रूप से प्रदान की जाय जिससे कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे मे जागरूक बन सकें।

अतः उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने "स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन" समस्या के रूप में चयन किया है।

1.5 समस्या कथन–

समस्या कथन बिन्दुवत स्पष्ट और संशय रहित प्रकार होना चाहिए कि उसे पढते ही समस्या की पहचान हो जाय अतःशोधकर्ता ने समस्या कथन को निम्नलिखित रूप दिया है–

"स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओंमें मानवाधिकार के प्रति जागरूकता

का तुलनात्मक अध्ययन करना"।

1.6 प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण–

(क) मानवाधिकारः–साधारण रूप में अधिकारो को व्यक्ति के ऐसे दावे को कहा जाता है कि जो समाज द्वारा स्वीकृत हो तथा राज्य द्वारा लागू किया गया हो। यह दावे या अधिकार व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण माने जो है कि इनकी अनुपस्थित मे कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ रूप को प्राप्त नही कर सकता। परन्तु मानवाधिकार की धारणा अन्य अधिकारों की अवधारणा से अधिक व्यापक है।

रेण्डम हाउस एनसाइक्लोपीडिया में मानवाधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखी है – "powers conditions of existence and possession which and individual has claim of title by virtue of being human"

"एक मनुष्य होने के नाते एक व्यक्ति के शक्तियाँ, अस्तित्व की शर्तो त

प्राप्तियों के दावे होते है। यह वह अधिकार होते है जो मनुष्य की प्रकृति मे निहित होते है तथा जो इस मनुष्य जीने के लिए नितान्त होते है।" ये व्यक्तियों की याग्यताओं के पूर्ण विकास के साथ–साथ मानवीय योग्यताओं, बुध्दि तथा चेतना के प्रयोग द्वारा अपने हितो और आवश्यकताओं को पूर्ण करने की आवश्यक शर्ते होती है।

अल्बर्ट काइस्ट ने कहा है– "आज मानवाधिकारों की बातें करते हुए मुख्यतः इन्ही बातों पर जोर देते है एक व्यक्ति की स्वतन्त्रतर राज्य या कुछ पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों द्वारा न बाधित होने देना कार्य करने और कमाने की आजादी, बोलने और अध्ययन की आजादी, अपनी सरकार बनाने में व्यक्ति का मुक्त योगदान।

सिध्दान्ततः वर्तमान में इन्हें ही मानवाधिकार के रूप में जाना जाता है।"

1.7 अध्ययन की सीमाएँ–

प्रत्येक समस्या का एक विशाल स्वरूप होता है जो अपने में न केवल अंचल अपितु सम्पूर्ण प्रदेश, व विश्व को समेट लेता है। प्रत्येक अनुसंधान समस्या की प्रकृति तथा क्षेत्र को ध्यान मे रखकर किया जाता है। किन्तु समस्या को यवहार रूप में अध्ययन करने के लिए परिसीमन करना आवश्यक होता है। जान डाब्ल्यू बेस्ट के अनुसार– "किसी शोध की सीमाएँ

व दशाएँ है जिन पर शोधकर्ता नियन्त्रण रखता है। क्योकि किसी विशेष स्थान के सन्दर्भ में निष्कर्ष निकाले जाते है तथा ये निष्कर्ष इसी तरह की अन्य सभी परिस्थितियों में लागू किये जा सकते है।"समयाभाव एवं साधन सीमित होने के कारण समस्या का क्षेत्र सीमित किया गया है।

अध्ययन को निम्नलिखित परिसीमा में रखा गया है–

1. प्रस्तुत अध्ययन समयाभाव के कारण लघु न्यादर्श पर किया जाता है।
2. उपलब्ध समय सीमा को देखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के लिए बाँदा जनपद तक सीमित किया गया है।

1.8 अध्ययन का उददेश्य–

प्रत्येक अनुसन्धान कार्य का अपना एक उददेश्य होता है उददेश्य के अभाव में किसी भी कार्य की सफलता संदिग्ध रहती है। उददेश्य के बिना उसका सुनियोजित ढंग से सम्पादन नही किया जा सकता इसलिए अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शोधकर्ता को उसके उददेश्य निश्चित कर लेने चाहिए जिससे कि शोधकर्ता को यह पता रहे कि उसे किस दशा में कार्य करना है। अनुसंधान का उददेश्य समस्या की प्रकृति पर निर्भर

करता है कि समस्या का समाधान उददेश्यों का प्राप्त करने के लिए चुना जा रहा है।प्रस्तुत शोधकार्य में निम्न उददश्यों को चुना गया है–स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार मे प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.9 प्रस्तुत शोध की परिकल्पना–

यह अनुसन्धान प्रकिया का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। परिकल्पना का तात्पर्य यह तथा कार्य कारण के सम्बन्ध में पूर्व चिन्तन कर लिया गया है अर्थात इस समस्या का यह कारण हो सकता है। यह निश्चित करने के पश्चात उसका परीक्षण के बीच की प्रक्रिया हैं। परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसन्धान सम्भव है।

परिकल्पना के उददेश्य–

जार्ज जे0 मूले ने परिकल्पना के निम्न उददेश्य बतलायें हैः–

1.परिकल्पना शोध के लिए दिशा प्रदान करती है तथा उपयोगी प्रदत्तो के संकलन में सहायक होती है।

2.परिकल्पना शोधकर्ता को संवेदनशील बनाती है जिसे वह अनावश्यक परिस्थितियो तथा प्रदत्तो के संकलन से बच जाता है।

3.परिकल्पना द्वारा शोधकर्ता को समस्या को सही रूप में समझाने में सहायता मिलती है तथा समस्या का रू॰ स्पष्ट हो जाता है।

4.परिकल्पना द्वारा शोधनिष्कर्षो के प्रतिपादन मे सहायता मिलती है।

परिकल्पना के प्रकार–

विभिन्न विद्वानो ने परिकल्पना को अपने–अपने ढंग से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। कथन के स्वरूप के आधार पर परिकल्पना को निम्नलिखित तीन भागों में बाँट सकते है:–

(क) **सकारात्मक कथन**– इस प्रकार की परिकल्पना में कथन सकारात्मक रूप से करते है। उदाहरणार्थ (1) वर्ग 'अ' की बुध्दि– लब्धि वर्ग 'ब' से अधिक है, (2)लडके, लडकियों से अधिक बुध्दिमान होते है, (3) अभ्यास से सीखने में उन्नति होती है। (4) 16 वर्ष के पश्चात रूचियों में स्थायित्व आ जाता है।

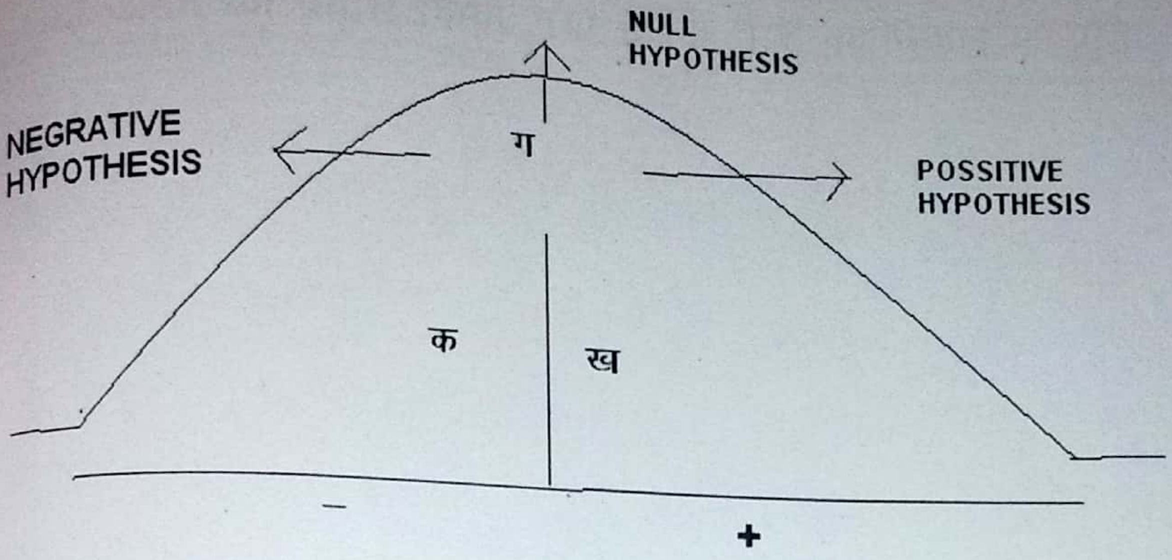
(ख) **नकारात्मक कथन**– इस प्रकार की परिकल्पना में कथन नकारात्मक रूप में होता है। उदाहरणार्थ (1) वर्ग 'अ' की बुध्दि– लब्धि वर्ग 'ब' से अधिक नही है। (2) लडके– लडकियों से अधिक बुध्दिमान नही होते (3) अभ्यास से सीखने मे उन्नति नही , (4) 16 वर्ष के पश्चात रूचियों मे स्थापित्व आ जाता है, आदि।

उपर्युक्त दोनो प्रकार की परिकल्पनाओं को निर्देशित परिकल्पना कहते है। इसका प्रयोग केवल एक पुच्छीय–परीक्षण (one tail test) में करते है।

(ग) शून्य परिकल्पना–इसमें यह मानकार चलते है कि दो चर जिनमें सम्बन्ध ज्ञात करने जा रहे है उनमें कोई अन्तर नही है। 'null' जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है–शून्य। इसीलिए इस परिकल्पना का शून्य परिकल्पना कहते हैं। उदाहरणार्थ (1) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के आयोजन में अन्तर नही होता। (2) लडके तथा लडकियों की बुध्दि–लब्धि मे अन्तर नही होता।

शून्य परिकल्पना किसी भी परीक्षण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। क्योंकि इस प्रकार की परिकल्पना की सबसे पहली विशेषता इसका निर्देश–रहित होना। परीक्षण में सरलता होती है,अनुसन्धानकर्ता को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए वाध्य नही होना पडता। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें द्वि–पुच्छीय परीक्षण (Two Tails Test) का प्रयोग करते हैं। अर्थात करते है। अर्थात दो सम्भावनाओं पर समान दृष्टि रहती है। इसी कारण इसे अच्छी मानते है अधिकांश व्यक्ति इसी का प्रयोग करते है।

इसे निम्न रेखांकित द्वारा स्पष्ट भी किया जा सकता है।



क– **नकारात्मक मूल्य कथन**–केवल नकारात्मक मूल्य पर ध्यान है।

ख– **सकारात्मक मूल्य कथन**– केवल नकारात्मक मूल्य पर ध्यान है।

ग– **शून्य अन्तर कथन**– दोनो ओर समान विचार होता है।

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध की परिकल्पना के रूप में "शून्य परिकल्पना" को ही चुना है। यह शून्य परिकल्पना की है कि –स्नातक स्तर के छात्र –छात्राओं का मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में अन्तर नही पाया जाता।

परिसीमांकन– प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में समस्या का क्षेत्र सीमित कर दिया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य मैं बांदा जनपद के महाविद्यालयों स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। छात्र–छात्राओं कें विचारो को संकलित करते हुये

यह जानने का प्रयास किया गया है कि वे मानवाधिकार के प्रति जागरूक है।

द्वितीय–अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

जब कोई शोधकर्ता अनुसंधान के लिए अग्रसर होता है तो उसके सामने सबसे बडा प्रश्न समस्या चयन होता है। समस्या चयन के पश्चात यदि उससे सम्बन्धित कोई शोध कर्ता हुये है तो किन–किन क्षेत्रो में? किस न्यादर्श पर उसे प्रयोग किया गया है? इससे निष्कर्ष कहाँ तक उपयोगी है? ये प्रश्न शोधकर्ता के मन को उद्वेलित करते है। इन प्रश्नो का उत्तर खोजने हेतु वह सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण करता है।

साहित्य के सर्वेक्षण का अर्थ–

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोषो, पत्र–पत्रिकओं, प्रकाशित अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से हैं जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढाने में सहायता मिलती है।

2.1 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण का महत्व–

अध्ययन के बिना अनसंधानकर्ता का कार्य अंधेरे के तीर के समान होगा। इसके अभाव में उचित दिशा में वह एक पग भी आगे नही बढ सकता जब तक कि उसे यह ज्ञात न हो कि क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका

है, किस विधि से कार्य किया गया है तथा उसके निष्कर्ष क्या आये हैं तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न उसकी रूपरेखा तैयार कर कार्य को सम्पन्न ही कर सकता है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए–

गुड, बार तथा स्केटस ने कहा है– "एक कुशल चिकित्सक, के लिए आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि सम्बन्धी आधुनिकता खोजों से परिचित होता रहें उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञाषु छात्र, अनुसंधान के क्षत में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र में सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजो से परिचित होना आवश्यक है।"

गुड, बार तथा स्केटस के अनुसार–

"the compenet physician must keep abreast of the latest discoveries in the field of medicine obviousaly the careful student of education.the res earch worker and investigator should become familier with the location and use of sourse of educational in formation .

जांन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार–

Practically all human knowledge can be found in books or libraries unlike other animal that must start

a new with each generation, man buids upon a accumulated and recarded knowledge of the past. His contant adding to the vast store of knowledge Makes passible progrest in all areas of humen endeavour."

"व्यवहारिक द्रष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जीवों के अतिरिक्त जो प्रत्येक पीढी मे नये सिरे से प्रारम्भ करते है, मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहित एवं सुरक्षित रखता है। ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव का विस्तार योग सभी क्षेत्र में उसके विकास का आधार है।"

2.2 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यक्ता–

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन की आवश्यक्ता निम्नलिखित कारणों से होती है–

1.शोध कार्य की योजना बनाने में प्रारम्भिक पदों मे से एक रूचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किये गये कार्यों की समीक्षा करता है।इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्ता को एक दिशा का संदेश देता है।

2.प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह दूसरों के द्वारा किये गये अपनी समस्या के सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से भली भांति अवगत हो। वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यक्ता समझी जाती है।

3. यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है।शोध की समस्या का चयन करने और पहिचानने के लिये समानता प्रदान करता है शोधकर्ता सम्बन्धित साहित्य के आधार पर अपनी परिकल्पनाऐं बनाता है। यह अध्ययन के लिये आधार प्रदान करता है अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद–विवाद में सहायता प्रदान करता है।

सम्बन्धित साहित्य व्याख्या की जाने वाली समस्या का पूर्ण स्वरूप प्रकट करता है।

2.3 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के उददेश्य–

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के निम्नलिखित उददेश्य है–

1.यह सिद्वान्त विचार व्याख्याऐं अथवा परिकल्पनाऐं प्रदान करता है जो नई समस्या के चयन में उपयोगी हो सकते है।

2.यह परिकल्पना के लिये साधन प्रदान करता है।शोधाकर्ता प्राप्त अध्ययनों के आधार पर शोध परिकल्पनाऐं बना सकता है।

3.यह समस्या के समाधान के लिये उचित विधि प्रकिया तथ्यों के साधन और सांख्यिकीय तकनीक का सुझाव देता है।

4.यह परिणामों के विश्लेषण मे उपयोगी निष्कर्षों और तुल्नात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है।सम्बन्धित अध्ययनों से प्राप्त किये गये निष्कर्षों की तुलना की जा सकती है और यह समस्या के निष्कर्षों के लिये उपयोगी हो सकता है।

5.यह शोध कार्य किये गये क्षेत्र में शोधकर्ता की निपुणता और सामान्य ज्ञान

को विकसित करने मे सहायक होता है।

2.4 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से लाभ–

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से अनुसंधानकर्ता को निम्नलिखित लाभ है–

1. यह आवश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।

2.शोध प्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अनुसंधानकर्ता से ज्ञान उसकी स्पष्टता को स्पष्ट करता है।

3.अब तक उस क्षेत्र मे हो चुके कार्य की सूचना देता है।

4. पहले किये गये कार्य के आंकडे, वर्तमान, अध्ययन मे सहायक होता है।

5. यह समस्या के चुनाव विश्लेषण एवं कथन मे सहायक होता है।

6. अनुसंधानकर्ता के समय की बचत करता है।

7. समस्या के सीमांकन मे सहायक होता है।

8. इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने मे सहायता मिलती है।

2.5 सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के साधन–

साहित्य के सर्वेक्षण के साधनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है,ये साधन निम्न है–

1. पुस्तकें और पुस्तकालय सामग्री

2.समय–समय पर निकलने वाली पत्र–पत्रिकाऐं

3.सामान्य पुस्तकें

4.छोटी पुस्तकें, वार्षिक पुस्तकें, सहायक पुस्तकें

5.अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा पर सन्दर्भ पुस्तकें

6. विश्वकोष

7. विशिष्ट शब्द कोष

8. लघु शोध प्रबन्ध

9. समाचार पत्र

10. सर्वेक्षण प्रतिवेदन

2.6 प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित अब तक हो चुके कार्य–

किसी भी विषय पर शोध कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शोधकर्ता को उससे सम्बन्धित पुस्तकें पत्र–पत्रिकाऐं तथा उस विषय पर अब तक हो चुके शोध कार्यों का अध्ययन अवश्य करना चाहिये। जब तक शोधकर्ता को यह ज्ञात न हो कि सम्बन्धित समस्या के क्षेत्र में कौन–कौन सी पुस्तकें या पत्र–पत्रिकाऐं है या उस क्षेत्र मे कितना कार्य हो चुका है अध्ययन विधि क्या है, या किस विधि से कार्य किया गया है एवं उसके निष्कर्ष क्या आये तब तक वह समस्या का निर्धारण नही कर सकता। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना शोधकर्ता का कार्य अंधेरे मे तीर चलाने के बराबर होगा।इसके अभाव मे वह उचित दिशा मे पग भी आगे नही बढ सकता। शोधकार्य बहुत ज्यादा तो नही हुआ फिर भी कार्य हुऐ है तथा जिससे शोधकर्ता को मदद मिली है उसका विवरण निम्न है।

1.अन्वेषिका रूबी वर्मा (एम0एड0 2003–04)–शोधकर्ता ने निष्कषर्र के रूप मे यह पाया कि मसध्यमिक स्तर के शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति

जागरूकता की कमी है।

2.**शोधकर्ता तेज प्रताप यादव (एम0एड0 2002–03)**– ने अपने शोध का विषय मानवाधिकारों की रक्षा में गांधी दर्शन की उपादेयता का अध्ययन चुना तथा निष्कर्ष निकाला कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिये हमें गांधी दर्शन के सिद्वान्त को महत्व देना होगा।

3. **काल्सी उमेन्द्र जीत कौर (शोध–2005 नागपुर वि0वि0)**–ने 21वीं शताब्दी में भारत में मानवाधिकारों की प्रगति के स्तर का विश्लेषण किया तथा निष्कर्ष निकाला कि भारत में मानवाधिकारों के स्तर में आपेक्षित वृद्वि नही हो पा रही है।

तृतीय –अध्याय

अध्ययन की प्रविधि एवं प्रारूप

3.1 प्रस्तुत शोध हेतु कार्य योजना–

अनुसंधान के लिये कार्य योजना का बहुत महत्व है एक कमिक और सफल अध्ययन के लिये आवश्यक है कि निश्चित नियमों का अनुपालन किया जाये क्योंकि यह सर्वविदित है कि नियम व कानून किसी सफलता के घोतक होते है।इसीलिये किसी कार्य की निश्चित योजना बना लेने पर लक्ष्य प्राप्ति में सुगमता होती है। अतः अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन के लिये एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिये। कार्य की रूपरेखा एक संरचना व योजना प्रदान करती है जो अनुसंधान को निश्चित करती है और ठीक निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता प्रदान करती है।

एक परिभाषा के अनुसार शोध प्रारूप शोध की रूपरेखा तैयार करने की विधि है जिसमें शोध के उददेश्य शोध विधि तथा प्रविधियों, प्रदत्तों के संकलन की प्रविधियों एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का शोध प्रारूपव में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाता है।शोध प्रारूप ने केवल समय शक्ति तथा धन के अध्ययन से बचाता है बल्कि शोधकर्ता को आंकडे एकत्र करने मे सहयोग प्रदान करता है। सुविधा की दृष्टि से अध्ययन को निम्नलिखित रूपों से प्रस्तुत किया जा सकता है–

(1) शोध विधि (2) जनसंख्या (3) न्यादर्श (4) अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण एवं तकनीक (5) प्रश्नावली का परीक्षण, प्रशासन एवं अंकीकरण (6) प्रदत्तो का संकलन (7) अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियां।

3.2 शोध विधि–

शोध विधि अनुसंधान क्रिया को सम्पादित करने का एक ढंग है जो समस्या की प्रकति द्वारा निर्धारित होती है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे ज्ञान का क्रमिक विकास होता रहा है। अनुसंधान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनुसंधान खोजने की वैज्ञानिक विधि है इसके अर्न्तगत समस्या कि विभिन्न पक्ष के विषय मे अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके तथा उसका विधिपूर्ण विश्लेषण करके समस्या का समधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है।

अनुसंधान का अर्थ–

दि एडवान्स्ड टीचर्स डिक्शनरी आफ करेन्ट इगलिश के अनुसार सावधानीपूर्वक की गई गवेषणा अथवा जांच विशेषता या ज्ञान की किसी शाखा में नये तथ्यों की खोज अनुसंधान है।

रेडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक दि रोमान्स आफ रिसर्च मे लिखा है कि नवीन ज्ञानार्जन के लिये प्रणालीबद्ध प्रयास ही अनुसंधान है।

डा0 मनमोहन वर्मा के अनुसार – अनुसंधान वह बौद्विक क्रिया है जो नवीन ज्ञान उत्पन्न करती है या पूर्णगामी त्रुटियों या अशुद्व धारणाओं

का संशोधन करती है और व्यवस्थित ढंग से वर्तमान ज्ञान कोश मे वृद्धि करती है।

वास्तव मे अनुसंधान एक प्रकिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान किया जाता है। अनुसंधान एक व्यवस्थित एवं सुनियोजित प्रकिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान मे वृद्धि की जाती है और मानव ज्ञान को सुगम एवं प्रभावी बनाया जाता है। यह वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान की एक प्रभावशाली विधि है।

अनुसंधान की विधियाँ–

अनुसंधान विधियों को वर्गीकरण विद्वानों के अनेक प्रकार से किया है किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करते हुए शिक्षा सम्बन्धी ,मनोविज्ञान सम्बन्धी तथा आंकडे प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकरण किया है। सामान्यतः अधिकांश विद्वानो ने निम्नलिखित वर्गीकरण को मान्यता दी है।

1. **ऐतिहासिक अनुसंधान**– इनका सम्बन्ध भूतकाल से है तथा यह
2. भविष्य को समझाने के लिये भूतकाल का विश्लेषण करता

है।ऐतिहासिक अनुसंधान का तात्पर्य अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना ही नही है बल्कि उन विचार धाराओं के कमिक विकास का विश्लेषण करना है जो इतिहास के विभिन्न कालों में उदित तथा

वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियां अथवा सम्बन्ध जो वास्तव मे वर्तमान है अभ्यास जो चालू है, विश्वास,विचारधारा अथवा अभिवृत्तियां जो पायी जा रही है,प्रक्रियायें जो चल रही है,अनुभव जो प्राप्त किये जा रहे है अथवा नई दिशाएँ जो विकसित की जा रही है, उन्ही से इसका सम्बन्ध है।

वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान स्थिति की व्याख्या तथा विवेचना प्रस्तुत करता है इसका सम्बन्ध उन स्थितियां तथा सम्बन्धों से है जिनका आस्तित्व वर्तमान से है,अथवा व्यवहारों से है जो प्रचलित है व उन दृष्टिकोणो अथवा अभिवृत्तियों से है जिनका प्रचलन है व ऐसे प्रक्रमों से है जो सक्रिय है तथा प्रभावों से है जिन्हे अनुभव किया जा रहा है।

वर्णनात्मक अनुसंधान के अर्न्तगत निम्नलिखित अध्ययन आते है–

1. सर्वेक्षण अध्ययन
2. सह–सम्बन्ध अध्ययन
3. तुलनात्मक कार्य करण अध्ययन
4. व्यक्ति अध्ययन

प्रस्तुत अनुसंधान मे प्रयुक्त शोध विधि–

अनुसंधान के मुख्यतः तीन उददेश्य होते है–(1)सैद्वान्तिक (2)तथ्यात्मक (3)उपयोग।ये उददेश्य अनुसंधान की विभिन्न विधियों एवं शोध व्यू हके प्रयोग करने पर प्राप्त किये जाते है। विधि अनुसंधान क्रिया को परिभाषित करने का एक ढंग है जो समस्या की प्रकति द्वारा निर्धारित होती है।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन का विषय "**स्नातक स्तर के**

छात्र–छात्राओं का मानवाधिकार के प्रति जागरूकता या तुलनात्मक अध्ययन" करना है। अतः प्रयुक्त अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए शोध विधि के रूप मे **सर्वेक्षण विधि का चयन** किया गया है।

सर्वेक्षण विधि–अनुसंधान की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी शब्द Survey का हिन्दी रूपान्तर है जिसकी उत्पत्ति Sur या Sor तथा Veeir या veior से हुई है।जिसका अर्थ कमशः "ऊपर से" तथा देखना है। इस तरह सर्वेक्षण का अर्थ है– ऊपर से देखना" या अवलोकन करना अथवा अन्वेषण करना होता है।

सर्वेक्षण विधि के वर्तमान किया की सार्थकता सिद्व करने अथवा वर्तमान किया में सुधार के लिये,वर्तमान दशा से सम्बन्धितक आंकडे एकत्र किये जाते हैं। सर्वेक्षण सम्बन्धी आंकडे एकत्र करने के तीन उददेश्य होते हैं।

1. वर्तमान स्तर का निर्धारण
2. वर्तमान स्तर और मान्य स्तर में तुलना
3. वर्तमान स्तर का विकास करना

3.3 न्यादर्श–

शोध के क्षेत्र में न्यादर्श का विशेष महत्व है न्यादर्श के बिना शोध कार्य को सरलता से पूरा करना कठिन है।जब कभी किसी जनसंख्या (इकाई,वस्तुओं या मनुष्यों का समूह)में किसी पर विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिये उसकी कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है तो इस चुनने की

क्रिया को न्यादर्श कहते है तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को न्यादर्श कहते है किन्तु यह परिभाषा बहुत व्यापक है। इसे अधिक सार्थक बनाने के लिये कहा जा सकता है कि – न्यादर्श समूचे इकाई समूह मे से चुनी गयी कुछ ऐसी इकाइयों का समूह है जो समूचे इकाई समूह का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करें।

न्यादर्श की उपयोगिता– न्यादर्श की उपयोगिता इस बात मे है कि जनसंख्या की सभी इकाईयों का अध्ययन न तो वांछनीय है न संभव ही। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र यदि विशाल समूह हो तो धन, समय आदि अधिक मात्रा में व्यय हो जाता है तथा प्रत्येक इकाईयां शुद्व नही हो सकती।इसके विपरीत यदि समस्त इकाइयो का अध्ययन न करके उतनी ही इकाइयों का अध्ययन किया जाये तो प्रतिनिधित्व करने वाली हो तो व्यवहारिक दृष्टि न्यादर्श का अध्ययन करना शुद्व सरल अल्पव्ययी तथा सुगम होता है।

न्यादर्श के चयन की विधियां–न्यादर्श की सबसे बडी विशेषता यह होती है के यह पूरी जनसंख्या का ठीक–ठीक प्रतिनिधित्व करें।इसीलिये न्यादर्श चुनते समय बडी सावधानी बरतनी चाहिये।

न्यादर्श चयन हेतु अनेक विधियों का विकास किया गया है इसे मुख्यतः दो भागों मे बांट सकते है–

1.**सम्भाव्यता न्यादर्श**–जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श मे सम्मिलित करने के लिये उसका चयन संयोग पर निर्भर करें तो उस चयन विधि को

सम्भाव्यता न्यादर्श कहते है चयन संयोग पर तब निर्भर करता है जब किसी भी इकाई को न्यादर्श मे सम्मिलित करना या न करना मानव–निर्णय पर न निर्भर हो। सम्भाव्यता न्यादर्श को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है–

1. यादृच्छिकी न्यादर्श या कमिक न्यादर्श
2. साधारण या अनियमित न्यादर्श
3. वर्गबद्व न्यादर्श या स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्श
4. बहस्तरी न्यादर्श
5. बहुरूपी न्यादर्श
6. समूह न्यादर्श

1. **असम्भाव्यता न्यादर्श**– जब न्यादर्श के चयन मे सम्भावना का कोई स्थान नही होता तब उसे असामान्य न्यादर्श कहते है। इसमें न्यादर्श एवं जनसंख्या एक ही होते है।स्थानीय शोध कार्यो में इसका प्रयोग किया जाता है इसमें सामान्यीकरण नही किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने यादविच्छ की न्यादर्श विधि के द्वारा स्नातक स्तर के 100 छात्र एवं छात्राओं का चयन किया जिसमें 50 छात्र तथा 50 छात्रायें हैं–

कमांक	महाविद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या
1.	पं0जे0एन.पी.जी.कालेज,बाँदा	15	20
2.	अतर्रा पी.जी. कालेज अतर्रा	15	15
3.	सुकदेवसिंह लवकुश महावि0बबेरू	12	10
4.	स्व0गयाप्रसाद महा वि0,भभुवा	8	5
	योग–	50	50

चतुर्थ–अध्याय

उपकरण एवं तकनीक

4.1 अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण एवं तकनीक–

किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शोध से सम्बन्धित क्षेत्र से चुने समग्र या न्यादर्श के माध्यम से जिन साधनों या प्रविधियों का उपयोग करते हुए आधार सामग्री समंक एकत्र किये जाते है उन्हें शोध उपकरण कहते है।

शिक्षा अनुसंधान के अन्तर्गत विविध प्रकार की मापन प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। माप विधि प्रदत्तो के संकलन का स्रोत होता है यह शोध किया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है।

शिक्षा अनुसन्धान में निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है–

1. प्रश्नावली (Questionair),
2. अनुसूची (Schedule),
3. चिन्हांकन मापनी (Check List),
4. निर्धारण मापनी (Rating Scale),
5. अभिवृत्ति मापनी (Attitude Scale),
6. साक्षात्कार (Interview),
7. अवलोकन (Observation),
8. समाजमिति विधि (Sociomatric Method),

प्रस्तुत लघुशोध में शोधकर्ता ने "प्रश्नावली" को शोध उपकरण के रूप में प्रयोग किया है।

प्रश्नावलीः– प्रश्नावली प्रश्नों की वह कमबध्द तालिका है जो विषयवस्तु के सम्बन्ध में सूचनाएं अर्जित करने में योग देती है।

बोगार्डस के अनुसार– "प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्नों की तालिका है। इससे प्रमापीकृत परिणाम प्राप्त होते है जिनका सारणीयन किया जा सकता है तथा सांख्यिकीय उपयोग की सम्भव होता है।"

लुण्डवर्ग के अनुसार– "मूलरू‍ में प्रश्नावली उत्तेजनाओं का समूह है जिनके प्रति शिक्षित व्यक्तियों को दिखाया जाता है जिससे इन उत्तेजनाओं के प्रति उनके मौखिक व्यवहार का निरीक्षण किया जा सके।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक उददेश्यपूर्ण सुनियोजित तालिका है जो उत्तर प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती तथा उससे प्राप्त उत्तारों का व्यावस्थापन एवं सांख्यिकी विश्लेषण संभव है।

शोधकर्ता ने प्रस्तुत विषय के शोधकर्ता के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया हैः–

स्वनिर्मित प्रश्नावली– शोधकर्ता को प्रस्तुत विषय के शोधकर्ता में आँकडों को एकत्र करने के लिए कोई प्रमाणिक प्रश्नावली उपलब्ध न होने

के कारण प्रश्नावली का निर्माण स्वयं किया है।हमारे अध्ययन का उददेश्य **"मानवाधिकार के प्रति स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन है।"** दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर स्वनिर्मित प्रनावली का निर्माण किया गया है प्रश्नावली निर्माण में प्रश्नों को अन्तिम रूप से पहले विशेषज्ञो से सलाह ली तथा अस्पष्ट एवं असंगत कथनो को प्रश्नावली में सम्मिलित नही किया गया है। प्रस्तुत शोध में "मानवाधिकार के प्रति जागरूकता" के मापन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

4.2 प्रश्नावली का निर्माण–

(1) पदों का निर्माण एवं एकत्रीकरण–

शोधकर्ता ने अनुसन्धान विषय के अनुरूप तथा उददेश्यानुसार स्वयं कुछ प्रश्नों का निर्माण किया। उनके एकत्रीकरण के लिए शोधकर्ता ने विभिन्न लेखकों की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं तथा सरकारी स्रोतो का अध्ययन किया।

उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर **'स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता"** जानने के लिए शोधकर्ता ने 50 प्रश्नों को एकत्र किया।

(2) प्रश्नों का चयन–

प्रारम्भ में शोधकर्ता ने 50 प्रश्नों का एक परीक्षण तैयार किया।

इस परीक्षण को संशोधन की दृष्टि से विद्वानों एवं परामर्शदाताओं के सम्मुख पेश किया। विचार विमर्श के पश्चात परीक्षण में 15 प्रश्नों को काट दिया गया 5 नये प्रश्नों का जोड दिया गया। इस प्रकार परीक्षण में 40 प्रश्न रखे गये।

(3) प्रारम्भिक जाँच–

प्रश्नावली की प्रारम्भिक जाँच में उन 40 पदों का बारीकी से अध्ययन किया गया और उसका समंक के कुछ व्यक्तियों पर प्रशासित किया गया। प्रशासन के पश्चात उनमें से 16 ऐसे प्रश्नों को हटा दिया गया जो कि प्रयोज्यों की बौध्दिक स्तर, भाषा एवं प्रशासन में अत्यन्त कठिन अथवा अत्यन्त सरल थे। इस प्रकार परीक्षण में 24 प्रश्न रखे गये हैं।

(4) प्रश्नावली का प्रशासन–

शोधकर्ता प्रश्नावली के प्रशासन के लिए बांदा जनपद के महाविद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं को चुना तथा उनके ऊपर परीक्षण को प्रशासित किया। परीक्षण के प्रशासन में 50 मिनट का समय लगा।

(5) अंकीकरण विधि–

प्रश्नावली में प्रश्नों के बहुविकल्प दिये गये हैं जिसमें उत्तरदाता कोउनमें से सही उत्तर का चयन कर उस पर सही चिन्ह (✓)लगाना है। सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं दिया गया है तथा कोई नकारात्मक मूल्यांकन भी नही किया गया है।

3.7 प्रदत्तों का संकलन–

शोधकार्य के लिए प्रदत्तों का संकलन शोध के उपकरणों की सहायता से न्यादर्श के सदस्यों पर करके किया जाता है। शोध उपकरणो के द्वारा विविध प्रकार के प्रदत्तो का संकलन किया जाता है।

प्रस्तुत लघु शोध में आँकडों का संकलन प्रश्नावली बनाकर किया गया है। आँकडो के संकलन के लिए शोधकर्ता ने बाँदा जनपद के छात्र–छात्राओं से स्वयं व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया। इस कार्य के लिए दो सप्ताह का समय लगा। इसके बाद आँकडों को एकत्र कर अंकीकरण किया एवं प्रदत्तों को एकत्रित किया। इस प्रकार अनुसन्धान में अध्ययन प्रपत्र के प्रशासन का कार्य सम्पन्न किया।

3.8 अनुसन्धान में प्रयुक्त साख्यिकीय विधियाँ–

एकत्रित आंकडों की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है:–

1. **मध्यमान**– माध्यमान से तात्पर्य प्राप्तांको को अंकगणितीय औसत होता है। गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है।

$$M = AM + \frac{\Sigma fd}{N`} \times 1$$

यहां

AM=कल्पित माध्य के वर्ग अन्तराल का मध्यांक ,

f =छात्रों की आवृत्ति

d =कल्पित माध्य

Σfd = छात्रों की आवृत्ति एवं कल्पित माध्य के गुणनफल का योग

N = छात्रों की संख्या

i = वर्ग अन्तराल

मानक विचलन–सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से लिये गये विचलनों के वर्गो के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते है इसकी गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$SD = \sqrt{\frac{fd_1^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fd}{N}\right)} \times i$$

यहाँ

1. मानक विचलन– सभी प्राप्तांकों के उनके मध्यमान से लिये गये विचलनों के वर्गों के औसत के वर्गमूल को मानक विचलन कहते है इसकी गणना के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

SD= मानक विचलन

F=विभिन्न वर्गो की आपत्ति

d= विभिन्न वर्गो का कल्पित माध्य से विचलन

i= वर्ग अन्तराल

N=संख्या

2. **क्रान्तिक अनुपात (C.R.)-** कान्तिक अनुपात के लिए "टी" परीक्षण का किया है जिसकी गणना में निम्न पदो का अनुसरण किया जाता है।

(1) मध्यमानों का अन्तर करना MD=

(2) मध्यमानों के अन्तर की मानक त्रुटि=

(3) मुक्तांश ज्ञात करना df=

(4) "टी" के सारण मान की सहायता से परिगणित "टी" के मान की सार्थकता ज्ञात करना।

पंचम–अध्याय

उपसंहार

5.1 निष्कर्ष–

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत लघु प्रबन्ध के अध्ययन का मुख्य उददेश्य **"स्नातक स्तर के छात्र–छात्रओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना"** था। शोध के अध्ययन का उददेश्य यह भी था कि प्रश्नावली के माध्यम से छात्र –छात्रओं की मानवाधिकार के प्रति और अधिक जागरूकता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाय तथा इन्हे मानवाधिकार के प्रति और अधिक जागरूक करने के उपाय सुझाव किये जायें। आज वर्तमान युग मे मानव के अधिकारों का हनन भी हो रहा है। वर्तमान युग में मानव के प्रति अत्याचार, शोषण, अधिकार का दुरूपयोग आदि जैसे घटनायें बढ रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के माध्यम सें मानव को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु विश्वशान्ति, भाईचारा, सहयोग, सहिष्णुता, आत्म–सम्मान, अधिकार कर्तव्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बाल अधिकार, नारी सम्मान, पुरूषों का यथोचित सम्मान के प्रति सचेत करते हुए उन्हें उस दिशा म अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाये। सवेक्षण द्वारा शोधकर्ता को जो आंकडें प्राप्त हुए उनके विश्लेषण के पश्चात निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैः–

1. बांदा के स्नातक स्तक के छात्र–छात्रओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का स्तर सामान्य है।

2. स्नातक स्तर के छात्र–छात्रओं की अपेक्षा कुछ अधिक जागरूक है।

3. स्नातक स्तर के छात्रायें, छात्रों की तुलना में कम जागरूक है।

4. बांदा की स्नातक स्तर के छात्र–छात्रओं में मानवाधिकार कें प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया गया है।

5.2 अनुसन्धान की उपलब्धियाँ–

प्रस्तुत शोध के अध्ययन का मुख्य उददेश्य था स्नातक स्तर के छात्र–छात्रओं का जागरूकता के प्रति अध्ययन करना। अनुसन्धान कर्ता को प्रस्तुत लघु शोध प्रन्ध के अध्ययन तथा सर्वेक्षण के उपरान्त जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उससे पता चलता है कि हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति बहुत कम जागरूक है। हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के रूप में अनेक अधिकार प्राप्त है तथा उसके साथ कुछ कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व भी सौंपा गया हैं किन्तु जागरूकता की कमी के कारण न तो हम अपने प्राप्त अधिकारों का सदुपयोग करते है और न ही उन कर्तव्यों का पालन करते हैं जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन होता है। मानवाधिकारों के बारे में जानकारी न होने के कारण प्रतिदिन, मानवाधिकार हनन की हजारों घटनाएं सामने आती है। मानवाधिकारों के हनन के रूप में सर्वाधिक मामले राज्य तन्त्र के पुलिस प्रशासन द्वारा किये जाते हैं तथा

सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन महिलाओं एवं बालकों का होता है। अतः हम कह सकते है जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तो उस देश का क्या भविष्य होगा।

मानव को प्राप्त अधिकारों के हनन का जिम्मेदार स्वयं मानव है इसका मुख्य कारण अशिक्षा, अज्ञानता, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी न होना, तथा अपने अधिकारों का हनन होते हुए मूकदर्शक के रूप में देखना।आज आवश्यकता है कि शिक्षा कि माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जायें। शिक्षा के हर स्तर पर मानवाधिकार को विषय के रूप में पाठयक्रम में सम्मिलित किया जायें। प्राथमिक स्तर से ही बालकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जायें जिससे वे उच्च स्तर की कक्षाओं तक पहुंचते–पहुंचते इस क्षेत्र मे पूरी तरह जागरूक हों सकेंगे। जब हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे तो सबसे पहले हम दूसरो के अधिकारो का हनन नही करेंगे तथा यदि हमारे अधिकारों का हनन तो हम संरक्षण प्राप्त कर सकते है। इसके लिए मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय तथा उनके संस्थाएं स्थापित की गयी है। जहां हम जाकर अपने अधिकारों के विषय में सरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

अतः शोधकर्ता को इस शोधकार्य के दौरान अनेक पुस्तकों पत्र–पत्रिकाओं के अध्ययन से मानवाधिकारों के विषय

में अनेक जानकारियां प्राप्त हुई तथा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ कि छात्र–छात्राएं मानवाधिकार के विषय में बहुत कम जानकारी रखते तथा उन्हे शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है।

5.3 भविष्य में शोध हेतु सुझाव–

मानवाधिकार का विषय मानव से सम्बन्धित होने के कारण सभी स्तर पर मानव को इसके विषय में जागरूक करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक कर ही उसके अस्तित्व रक्षा की जा सकती है। मानवाधिकार का विषय व्यक्ति के जन्म मृत्यु पर्यन्त तक सम्बन्धित होने के कारण इस विषय पर हर स्तर पर शोध कार्य किया जा सकता है। भविष्य में निम्नलिखित विषय शोध के रूप में किये जा सकते हैं।

1. माध्यमिक स्तर पर छात्र–छात्रओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया।
2. इण्टर स्तर पर छात्र–छात्रओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्च स्तर के छात्र–छात्रओं मानवाधिकार के प्रति जागरूकत का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. स्नातक स्तर पर कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्रों का मानवाधिकार के प्रति जागरूकताका तुलनात्मक अध्ययन करना।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

क्रम संख्या	लेखक	पुस्तक
1–	पाण्डेय, रामशकल एवं मिश्र करूणा शंकर	– मानवाधिकार एवं मूल्य शिक्षण
2–	पाठक,अरूण कुमार	– मानवाधिकार
3–	राय,कैलाश	– अन्तर्राष्ट्रीय विधि
4–	पाण्डेय,जे.एन.एवं बसु,डी.डी	–भारत का संविधान
5–	सरीन,शशिकला एवं सरीन,अजन्ता	–शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा,2007
6–	राय,पारसनाथ एवं राय,सी.पी.	–अनुसंधान परिचय लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन,आगरा त्रयोदस संस्करण:2010–11
7–	पाण्डेय,रामशकल	–भारतीय शिक्षा की समस्यायें विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2009
8–	सारस्वत, मालती	–शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा आलोक प्रकाशन,लखनऊ,2008
9–	गुप्ता,एस.पी.	–आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन शारदा पुस्तक भवन,मेरठ–2009

10– अस्थाना,चन्द्र,विपिन –मनोविज्ञान शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन
विनोद पुस्तक मन्दिर,आगरा,2005

11– Best,John.w -Research in education,New Delhi
Prentice hll at India Pvt,Ltd. 1982

12– पत्रिकाएँ

प्रतियोगिता दृष्टि –जयपुर

प्रतियोगिता दर्पण –आगरा पब्लिकेशन

परिशिष्ट

प्रश्नावली

डॉ अमरनाथ दत्तगिरि
(एसोसिएट प्रोफेसर)
शिक्षक शिक्षा विभाग
अतर्रा पी.जी. कालेज,अतर्रा

सन्तोष कुमार साहू
एम0एड0 (छात्र)

नोटः–

प्रस्तुत प्रश्नावली मानवाधिकार शिक्षा पर आपके विचार जानने के लिए निर्मित की गई है। इस प्रश्नावली का प्रयोग शोध कार्य हेतु कार्य किया जायेगा। अतः अपने उत्तर देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। आपके विचार गोपनीय रखे जायेंगे।

निर्देश–

1. नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिये गये है। आप अपने विचारानुसार सही विकल्प के सामने सही (✓) का निशान लगाकर उत्तर दे
2. सभी प्रश्न 1–1 अंक हैं।
3. सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

1. मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब हुई थी?

(a) 1946 (b) 1947

(c) 1948 (d) 1949

2. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?

(a) 5 दिसम्बर (b) 1 दिसम्बर

(c) 10 दिसम्बर (d) 1 जनवरी

3. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गयी थी?

(a) 1945
(b) 1946
(c) 1947
(d) 1948

4. मानवाधिकार घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं?

(a) 30
(b) 35
(c) 40
(d) 45

5. भारत नें संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार चार्टर पर कब हस्ताक्षर किये?

(a) 1978
(b) 1979
(c) 1980
(d) 1981

6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ?

(a) 1990
(b) 1993
(d) 1995
(c) 1997

7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है?

(a) भोपाल
(b) लखनऊ
(c) नई दिल्ली
(d) कलकत्ता

8. भारतीय संविधान के किस भाग में मानवाधिकार से सम्बन्धित अनुच्छेद वर्णित है:–

(a) भाग – 3
(b) भाग – 4
(c) दोनों में
(d) किसी में नहीं।

9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है :–

(a) मुख्य न्यायाधीश
(b) अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश
(c) प्रधानमंत्री
(d) राष्ट्रपति

10. क्या किसी भी व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, सामाजिक विचार के सम्बन्ध में अधिकार दिये जाने में भेद–भाव किया जाना चाहिए?

(a) हा (b) नहीं

(c) ज्ञात नहीं

11. क्या मानवाधिकार के अन्तर्गत सभी अधिकारों के मामले में जनमत, स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए–

(a) हाँ (b) नहीं

(c) ज्ञात नहीं।

12. क्या मानवाधिकारों की संरक्षण पुलिस भी को दी जानी चाहिए?

(a) हाँ (b) नहीं

13. क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव को दी जानी चाहिए ?

(a) हाँ (b) नहीं

14. क्या पुरूष और स्त्री तथा सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार है:–

(a) हाँ (b) नहीं

15. क्या प्रत्येक व्यक्ति को अन्तःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है?

(a) हाँ (b) नहीं

16. क्या किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है–

(a) हाँ (b) नहीं

17. क्या किसी भी व्यक्ति को शान्तिपूर्वक सभा करने एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए–

(a) हाँ (b) नहीं

18. क्या प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है–

(a) हाँ (b) नहीं

19. क्या प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है–

(a) हाँ (b) नहीं

20. क्या मानवाधिकार के अन्तर्गत शिक्षा के चुनाव का अधिकार माता–पिता को दिया गया है–

(a) हाँ (b) नहीं

21. क्या अस्पृश्यता का अन्त मानवाधिकार की रक्षा में उठाया गया एक कदम है–

(a) हाँ (b) नहीं

22. क्या मानवाधिकार के अन्तर्गत कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश में भ्रमण करने व बसने का अधिकार है।

(a) हाँ (b) नहीं

23. क्या कोई व्यक्ति किसी जाति धर्म व राष्ट्र की महिला से विवाह कर सकता है–

(a) हाँ (b) नहीं

24. क्या बाल विवाह करना मानवाधिकार का उल्लंघन माना जायेगा–

(a) हाँ (b) नहीं